विशुद्ध राष्ट्रवाद को समर्पित प्रमुखतः विचार पाक्षिक

शुल्क आदि सहयोग देकर, 'हिन्दु अस्मिता' को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने में अपना योगदान दीजिए। धन नकद, मनीआर्डर/बैंक ड्राफ्ट द्वारा निम्न पते पर भेजिए।

वार्षिक शुल्क रुपया चालीस। संस्था, संगठन, ग्रन्थालय, वाचनालयों के लिए सुविधा शुल्क वार्षिक रुपया 30 केवल।

विक्रम गणेश ओक

16, एम. आय. जी. (शॉप कम रेसीडेन्स) नन्दानगर, मेनरोड़
इन्दौर (म.प्र.) 452 08

वर्ष 1 अंक 9, मंगलवार, अश्विन कृष्ण 8, संवत् 2048/शके 1 13/दि. 1 अक्टूबर 1991 संपादक विक्रम गणेश ओक (विक्रमसिंह) पृ. 4 मूल्य 1.50 पैसे वार्षिक रु. 40

धार्मिक स्वतन्त्रता का शंखनाद

श्रीमान रामस्वामी वेंकटरामन महोदय
महामहिम राष्ट्रपति
भारत शासन

सादर अभिवादन ! 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन भारत के निर्माण के उपरांत हमारे देश के कर्णधारों ने अन्य विविध स्वतंत्रताओं का मार्ग प्रशस्त किया। 1 नवंबर 1947 की मंगल प्रभात पर केंद्रीय शासन के मंत्री स्वर्गीय श्री न.वि गाडगिल महोदय ने केंद्रीय गृह-मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की अनुमति से श्री सोरटी सोमनाथ मंदिर के भग्नावशिष्ट महाद्वार में खड़े होकर सम्मुख उपस्थित भारतीय नागरिकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रभाषा हिंदी में यह घोषणा की कि—"भारत सरकार ने इस मंदिर के पुनर्निमाण का निश्चय किया है यह घोषणा मैं भारत सरकार की ओर से कर रहा हूं।" समक्ष उपस्थित जनता ने हर्षोल्लास से 'जय सोमनाथ' का तुमुल घोषनाद कर अपनी हार्दिक प्रसन्नता कोअभिव्यक्ति दी। 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. राजेंद्रप्रसाद महोदय ने नवनिर्मित श्री सोमनाथ मंदिर में 'शिवलिंग प्रतिष्ठा' कर भारत राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता को शासकीय मुद्रा से अंकित किया और 13 मई 1965 के पूर्वाह्न 12 बजकर 30 मिनट 101 तोपों की मान-वंदना के साथ श्री सोरटी सोमनाथ मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का विजय समारोह सम्पन्न हुआ।

राष्ट्र और सत्ता के तत्कालीन नेताओं ने राजनीतिक स्वाधीनता पर ही स्वतंत्रता आंदोलन को विराम न देते हुए अन्य स्वतंत्रताओं की प्राप्ति का अभियान इस प्रकार अविरत रखा और इसी तारतम्य में कहना होगा कि, इससे भारत भूमि के एक-एक धर्मस्थल की मुक्ति तक इस अभियान को अविरत चलाने का व्रत वे हमारे लिये सौंप गये हैं। ऐसे में हिंदू के नाम पर या अन्य किसी भी नाम पर किसी व्यक्ति या संगठन को यह अधिकार नही है कि, पराधीनता के काल में जिनकी स्वतंत्रता का हरण किया गया उनमें से किसी भी धर्मस्थल को सदा-सदा के लिए आक्रांताओं के उत्तराधिकारियों को सौंपने का दुःसाहस करें। आपकी सेवा में विनीत होकर मैं स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं कि, यदि किसी शासन, संगठन या व्यक्ति ने हिंदू समाज की ओर से इस प्रकार की सौदेबाजी की तो हम हमारा संगठन और हिंदू समाज उससे प्रतिबद्ध नहीं रहेगा और अपने एक-एक धर्मस्थल को मुक्त कराने के अपने राष्ट्रीय दायित्व की पूर्ति में स्वतंत्र होगा। हम कामना करते हैं कि, राष्ट्रपति स्व. डा. राजेंद्र प्रसाद महोदय के शुभाशीष का सबल हमें सफलता के शिखर तक अवश्य ही पहुंचायेगा।

धन्यवाद !

—विक्रम गणेश ओक विक्रमसिंह

27 सितम्बर 1989 को उक्त पत्र माननीय श्री राष्ट्रपतिजी को तथा उसकी प्रति विश्व हिंदू परिषद के केन्द्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु हरि डालमियाजी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई थी।

नग्न निर्लज्ज दासता

सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत उपासन स्थल (विशेष प्रबंध) विधेयक १९९१ के हिंदी अनुवाद के मुख्य अंश——

1. 1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1991 है।

2) इसका बिस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

3) यह 11 जुलाई 1991 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

1) 'संपरिवर्तन' के अंतर्गत उसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित किसी भी प्रकार का परिवर्तन या तब्दीली है,

2) 'उपासना स्थल' से किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग का, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर, मठ या लोक धार्मिक उपासना का कोई अन्य स्थल अभिप्रेत है।

3. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक सम्प्रदाय के भिन्न अनुभाग के या भिन्न धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में सम्परिवर्तन नहीं करेगा।

4. 1) यह घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था।

2) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के संपरिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है तो वह समाप्त हो जाएगी और इसे किसी मामले के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ पर या उसके पश्चात किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी।

परंतु यदि इस आधार पर संस्थित या फाइल किया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के ऐसे स्थल के धार्मिक स्वरूप में 15 अगस्त 1947 के पश्चात संपरिवर्तन हुआ है, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर लम्बित है तो ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही इस प्रकार समाप्त नहीं होगी और ऐसे प्रत्येक वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का निपटारा उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी——

(क— प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियन 1958 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत ऊक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या कोई पुरातत्वीय स्थल या अवशेष हैं।

(ख— उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी मामले के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित, परिनिर्धारित या निपटा दिया गया है।

(ग— ऐसे किसी मामले के बारे में कोई विवाद जो पक्षकारों द्वारा ऐसे प्रारम्भ के पूर्व आपस में तय हो गया है।

(घ— ऐसे किसी स्थल का कोई संपरिवर्तन जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व उपमति द्वारा किया गया है।

(ङ— ऐसे किसी स्थल का ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किया गया कोई संपरिवर्तन, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य किसी प्राधिकारी के समक्ष आक्षेपणीय नहीं है।

6. इस अधिनियम की कोई बात उत्तरप्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के रुप में सामान्यतया ज्ञात स्थान या उपासना स्थल से संबंधित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

6. 1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

यदि तेरी पुकार अनसुनी की जा रही है तो चल, तू अकेला चल और तेरी इस हिन्दु जाति के कल्याण हेतु, मंगल हेतु, यह अपना तन, मन, धन और समय की मांग हो तो अपना यह शीश उसकें चरणों पर तू अकेला ही चढ़ा दे ! तू तेरे कर्तव्य की पूर्ति कर ! दूसरे करें या न करें ! तो चल अकेला चल ! इस प्रकार के आदर्श-वाक्य से अंकित ध्वज को थामकर जब तक कोई न कोई अग्रसर नहीं होगा, कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता ! कार्य कभी सम्पन्न हो ही नहीं सकता।

—वीर सावरकर

बिखराव का रोग

संसद के विगत सत्र मे शासकीय तौर पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार इस वर्ष में मार्च माह तक 39 हजार 89 लोग आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि निवारक कानून के अन्तर्गत बन्दी बनाये गए। और इसी वर्ष मई मास तक अर्थात केवल पाँच माह में 1107 लोगों की आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई। इनमें 72 लोगों के प्राण असम के उल्फा उग्रवादियों द्वारा लिये गये। स्पष्ट है कि पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की जा रही हत्या की तुलना में उल्फा मई माह तक बहुत पीछे थी। इसलिये ये सही आंकड़े भी भ्रमात्मकता उत्पन्न कर सकते हैं। मृत्युसंख्या की तत्कालीन इस न्यूनता को आज सुखद नहीं तो सन्देहजनक माना जा रहा है।

आज जबकि असम में उग्रवाद को रोकने के लिए दुबारा सेना उतारी गई है तो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया कि वे प्रदेश प्रशासन और राजनीति का हस्तक्षेप किसी भी प्रकार सहन नहीं करेंगे। इसलिये कि उन्हें इन पर कोई विश्वास ही नहीं है। आज असम में कांग्रेस पुनः सत्तारुढ़ अवश्य है पर उसके मुख्यमंत्री श्री हितेश्वर सैकिया पर यह प्रकट आरोप लगाया जा रहा हैं कि उन्होंने ही अव्यावहारिक शांति योजनाओं के अन्तर्गत उल्फा उग्रवादियों से अनैतिक समझौते किये है। और उग्रवादी भस्मासुर को वरदान देने वाला उनका यह आचरण इसलिये संदेह के घेरे में है कि सत्ता आसंदी पर आसीन होने के पूर्व से ही उनके कुछ गोपनीय संबंध और समझौते इन उग्रवादियों से रहे है और उन्हीं समझौतों के कारण विगत चुनावों के समय उल्फा ने शांति बनाये रखी। संभव है कि चुनाव हो जाने के उपरांत नवीन जनतंत्रीय वातावरण के सम्मुख उल्फा वाले हिंसा का दौर पुनः चलाने का साहस खो देंगे इस धारणा से सैकिया ने तब कुछ चिकनी-चुपड़ी उनके साथ की हो। पर यह भी तो संभव है कि असम गण परिषद के दो धड़ों में बंटने के उपरांत प्रदेश पर पुनः अधि[illegible] करने की परिस्थिति को निश्चित और निश्चिन्त बनाने [illegible] सैकिया ने गोपनीय रूप से ही क्यों न हो उल्फा को कुछ ऐसे आश्वासन दिये हों जिनकी पूर्ति सत्ता प्राप्ति के उपरांत उनसे नहीं हो [illegible] और इसीलिये उग्रवादियों की बिना शर्त थोक मुक्ति [illegible] घोषणा कर सैकिया उन्हें शांत करना चाहते हो। [illegible] हो इतना तो सही है कि ब्रम्हपुत्र घाटी को पुनः एक बार हिंसा की आग में झोंकने के आरोप से सैकिया मुक्त हो [illegible]।

असम की वर्तमान अनियन्त्रित स्थिति में उसे सेना को सौंपने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही नहीं था। असम मे सेना उतारने का विरोध करने वाली असम गण परिषद को वस्तुतः इस विरोध का कोई अधिकार ही नहीं है। पिछली बार जब 'आपरेशन बजरंग' के अंतर्गत असम में सेना उतारी गई थी तब इसी असम गण परिषद का शासन असम में था और तब उस कार्यवाही की पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर सकने के पीछे भी प्रदेश प्रशासन का असहयोग और राजनीतिक हस्तक्षेप ही उत्तरदायी था। उन दिनों उल्फा के हाथ पुलिस प्रशासन तक मे इतने गहरे और प्रबल रहे हैं कि उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की पूर्व सूचना उन्हें मिलती रही। यदि भेदी घर में ही हो तो लंका के न ढहने में ही आश्चर्य हो सकता है। वैसे भी परिषद के सत्ता में आने तक उल्फा की यात्रा परिषद वाले छात्र संगठन के कंधे से कंधा मिला कर ही हुई है।

युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम अर्थात उल्फा कोई बहुत पुराना संगठन नहीं है। आज से मात्र बारह वर्ष पूर्व 7 अप्रेल 1979 को अहोम नरेशों की राजधानी रंगघर में इस संस्था की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य विशुद्ध रूप से प्रादेशिक भाव से प्रेरित होकर वे एक स्वतंत्र अहोम राज्य की स्थापना करने को कृतसंकल्प है। आरंभिक वर्षों में उल्फा ने असम स्टूडेण्ट यूनियन के सहायक दल का स्वरुप रखकर अपने आप को युवकों में प्रिय बनाने और शक्तिशाली बनने की नीति अपनाई और इसमें वह सफल भी रहा। 1985से उसने अपना विद्रोही स्वरुप प्रकट करते हुए गैर असमियों से बल्पूर्वक पैसा बटोरने, व्यापारियों से सुरक्षा कर और इसी प्रकार चाय-बागानों से अनाधिकार कर वसूलना चालू कर दिया। उन दिनों उल्फा का आतंक क्षेत्र डिब्रूगढ़, जोरहाट, नौगांव, तिनसुकिया, लखीमपुर आदि में फैला हुआ था। यहां तक कि असम की राजधानी गुवाहाटी तक में मारवाड़ी समाज बहुत ही अनिश्चय में जी रहा था और उसने असम से विष्क्रमण आरंभ कर दिया था। असम का मारवाड़ी समाज 1968 का वह 'मारवाड़ी भगाओ' आंदोलन भूला नहीं है कि जिस हिंसक दौर के स्मरण करते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

असम में चले 'गैर असमी हटाओ आंदोलन' में उल्फा ने खुलकर हिंसा का सहारा लिया। 20जनवरी 1990 को कामरूप चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष शंकर बिरमीवाल की हत्या की गई। इसके पूर्व 1988 में में जौ.एल. हरलालका को मौत के घाट उतारा गया। पर अब उल्फा की दृष्टि आज किसी एक जाति या वर्ग पर नहीं तो पुरे गैर असमियों को प्रदेश बाहर करने की है। इसीलिए बंगाली और घुसपैठिये अल्पसंख्यक आदि पर भी उन्होंने अपने शस्त्र-अस्त्र यदाकदा चलाये हैं। इसी असमवाद के प्रादेशिक अहं के कारण इण्डियन आयल लिमिटेड में नौकरी करने वाले अन्य प्रदेशों के वैज्ञानिक और उच्च पदस्थ अधिकारी उल्फा की मृत्युसूची में रहे हैं। इधर श्री राजू और अभी-अभी श्री बी.पी. श्रीवास्तव की हत्याओं से ओ.एन.जी.सी. के अधिकारियों, कर्मचारियों को आंदोलन के लिये इस कारण विवश कर दिया कि 1988 से ओ. एन. जी. सी. का अधिकारी वर्ग उल्फा का निशाना रहा। जून 1988 में ओ.एन.जी.सी. के वरिष्ठ सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी श्री आर.वी. राममूर्ति के प्राणों को इन्हीं रक्तरंजित उल्फाई हाथों ने समाप्त किया था। उल्फा का यह प्रादेशिक राष्ट्रवाद आज जिस निम्न स्तर को प्राप्त हो चुका है उसका प्रमाण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हिंदुराष्ट्रवादी संगठन के तीन जिला प्रचारकों की हत्या। उल्फाइयों की रक्तपिपासा के बलि चढ़े प्रचारकों में सबसे प्रथम थे नलबारी के प्रचारक श्री मुरली मनोहरन्, फिर कोकराझार के प्रचारक श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी की हत्या इन दुष्टों ने की और इसी एक वर्ष में दो प्रचारकों के प्राण लेकर इन्हें संतोष नही हुआ तो विगत 16 अगस्त को बारपेटा जिला प्रचारक श्री प्रमोद दीक्षित को अपनी गोली का निशाना बनाया। तो स्पष्ट है कि उल्फा का यह हिंसक आंदोलन विघटक और राष्ट्रद्रोही आंदोलन है।

उल्फा के विरुद्ध इस द्वितीय सैनिकी कारंवाई 'आपरेशन राइनो' को चलाने का प्रकट कारण यह है कि उसने गैर असमियों को बंधक बना कर उनके बदले में अपने आतंकवादी साथियों को मुक्त करवा लेने की काश्मीरी आतंकवादियों की चाल को बड़ी ही कठोरता से चलाये रखा और उसे पड़ोसी बांग्लादेश, ब्रम्हदेश और चीन से मिलने वाली सहायता का प्रकट आरोप असम के मुख्यमंत्री ने ही घोषित कर दिया। इन देशों के कूटनीतिज्ञ मित्रता को स्वांग रचते हुए सदा ही इस प्रकार के सहयोग से नकारा करते रहे है। पर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर और पंजाब के उग्रवादियों और प्रशिक्षण दिये जाने के आरोप को वह जितना नकारता जाता है उतनी ही अधिक अविश्वसनीयता को वह अपने खाते में जोड़ लेता है। विद्रोहियों को उकसा कर सहारा देकर, सहयोग देकर, किसी देश की सीमाओं को जर्जर करते रहने का छद्मयुद्ध वैसे कोई नया नहीं है। पर आधुनिक अस्त्र-सम्पन्नता ने उसे नया रूप अवश्य प्रदान कर दिया है।

उत्तर-पूर्व के हमारे पड़ोसी देश कितना ही नकारा क्यों न करें पर पूर्व में वे नागा-मिजो विद्रोहियों को सहयोग देते रहे और आज इन उल्फावालों को सहयोग दे रहे हैं। जब हमारे देश के राजनेताओं में इजराइल के समान विद्रोही संघर्ष को जड़ अर्थात विदेशी अड्डों को नष्ट करने की मानसिकता है ही नहीं तो अपने ही देश में अपने विद्रोहियों के विरुद्ध की जाने वाली सैनिकी कार्यवाही करने के उनके साहस को सराहना ही उचित होगा। इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि देश में कश्मीर, पंजाब, असम, मेघालय, मिजोरम आदि सीमावर्ती प्रदेशों में जो पृथकतावादी हिंसक आंदोलन चलाये जा रहे है उनके प्रेरक और पोषक विदेशों में है और उनका एकमात्र लक्ष्य भारत को खण्डित करना है। इनमें कुछ महत्वाकांक्षी विशाल राष्ट्र साम्राज्यवादी लालसा से प्रेरित हो इस उद्यम को चला रहे हैं, तो कुछ छोटे राष्ट्रों को भारत की विशालता नहीं सुहाती। अपने मजहबी परचम के तले समूचे विश्व को लाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले कठमुल्ले भी इस गंदे नाले को बहाने और उसमें अपने हाथ गंदे करने में जुटे हुए हैं। इसका एक लंबा इतिहास है। पर ताजा गतिविधियों का ही यदि विचार करें तो दिखाई देता है कि दिसम्बर 1989 में ब्रम्हदेश और बांग्लादेश में मात्र एक पखवाड़े के समयान्तर से भारत के सक्रिय उग्रवादियों के संगठनों की संयुक्त बैठकें एक ईसाई मिशन के तत्वाधान में आयोजित की गई थी तो विगत वर्ष की जनवरी में पंजाब, कश्मीर, असम, मेघालय, मिजोरम के प्रमुख आतंकवादियों के संगठन प्रमुखों की बैठक का आयोजन चीन में हुआ था। चीन में सम्पन्न इस बैठक में निश्चय किया गया था कि भारत के सीमांत प्रदेशों में अलग कर पृथक राष्ट्रों का निर्माण करने के लिए एक साथ पुरे भारत में हिंसात्मक संघर्ष छेड़ दिये जाये और इस प्रकार अस्थिर राजनीतिक वातावरण के इस माहौल में अल्पमतीय सरकारों को किंकर्तव्य विमूढ़ बना दिया जाय।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति में कोई राष्ट्र से प्रत्यक्षरूप से उलझना नहीं चाहता। भारत भी इसका अपवाद नहीं। ऐसे में देश की सीमाओं को इतना मजबूत और चौकस बनाना आवश्यक है कि परिन्दा भी चुप घुस न सके और इसी दृष्टि से असम में सैनिकी कार्यवाही का स्वागत किया जाना चाहिए। माना कि पृथकतावाद आज एक नये रूप में अग्रसर हो रहा हैं। रूस और युगोस्लाविया के प्रतिदिन के समाचार आज यह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं और इस बात से भी नकारा करना आत्मघाती होगा कि इसका प्रभाव समूचे विश्व पर अर्थात भारत के सन्दर्भ में दो बातें विशेष रूप में महत्वपूर्ण और विचारणीय है। एक बात अभी विगत माह एक अमेरिकी संस्थान के कथन से महत्व को प्राप्त हुई, वह यह कि कश्मीर और पंजाब में उग्रवादी और खालिस्तानी इसलिए उत्पात मचा रहे हैं कि देश की एकता और अखण्डता चाहने वाले निष्क्रिय हैं। और दूसरी यह कि एक ओर तो हिंदुओं के नेता रोज ही यह उद्घोष कर रहे हैं कि देश के हिंदुओं का हिंदुत्व जाग चुका है।

पर प्रत्यक्ष में हमें जो दिखाई देता है वह चित्र इसके ठीक विपरीत है और यह विपरीत चित्र है कश्मीर से हिंदुओं ने जो पलायन किया उन्हें इस्लाम के नाम पर भगाया गया और हिंदुओं से उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। पंजाब में सिखों के हिंदू होने पर भी उनके मन मस्तिष्क में भरे गये पृथक पंथिक भाव से खाडकू हिंदुओं के विरुद्ध मजहबी पाकिस्तान की शरण में है और दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारे में श्रीमत् जगतगुरु शंकराचार्य का नहीं तो राष्ट्रद्रोही इमाम बुखारी का स्वागत उद्बोधन आयोजित किया जाता है। उल्फा वाले युवक हिंदु हैं और हिंदु का रक्त बहा रहे हैं प्रत्यक्ष रा.स्व.संघ के प्रचारक राष्ट्रभक्तों का रक्त बहा रहे हैं। एल. टी. टी. ई. के तमिल उग्रवादी भारत की धरती पर हिंदुओं की ही तो हत्या कर रहे हैं। तो बन्धु हिंदु कहां जाग चुका है ? उसका हिंदुत्व कहां जागृत हुआ है ? कहते हैं दुःस्थिति बुरी होती है, पर दुःस्थिति के बने रहते उसके हटने का भ्रम उससे भी अधिक बुरा होता है--कदाचित् घातक होता है !

जय हिन्दुराष्ट्र

दीपावली विशेषांक

विचारोत्तेजक लेख, शोधपूर्ण जानकारी, चुटीला व्यंग्य और अर्थपूर्ण चुटकुले, सब कुछ अर्थात मिलाजुला रसास्वादन-हिंदु अस्मिता दीपावली विशेषांक शुक्रवार १ नम्बर १९९१ को प्रकाश्य।

एक बात में हम अवश्य असफल रहे है और वह है अन्याय को सहन करना।

'हे राम ! तुम ही जानत पीर हमारी'-समापन (चौथी) कड़ी [१६अ.अंक से संयोज्य]

लहरें नवसृष्टि का निर्माण नहीं करती!

उत्तरप्रदेश के उत्तरांचल में भाजपा को मिली अभूतपूर्व सफलता भाजपा द्वारा नये सिरे से नये रूप में पृथक उत्तरांचल के प्रभावी आश्वासन के कारण प्राप्त हुई। यदि पृथक उत्तरांचल की दृष्टि से भाजपा के प्रयास इन पहाड़ी लोगों के सन्तोषजनक नही लगे तो वे शीघ्र ही उन संगठनों की राह देख लेंगे जो पृथक उत्तरांचल के नाम पर बने है और जिन्होंने इस चुनाव में अपनी पराजय से कुछ सीखा है। इस चुनाव में कुछेक मुसलमानों द्वारा भाजपा के पक्ष में मतदान की बात बराबर प्रचारित की जा रहीं हैं। ये वे मुसलमान है जो 'शीया' कहलाते है और भारत के मुसलमानों में अल्पसंख्यक होने के कारण उनके अपने मजहबी घर मे ही स्वयं को अन्यायग्रस्त समझते है साथ ही अल्पसंस्कवादी मानसिकता से ग्रसित भी है। उत्तरप्रदेश मे लखनऊ में 1977 से शियाओ के ताजियों के जुलूस पर लगे प्रतिबन्ध को हटवाने के लिए इनके नेताओं ने भाजपा से सौदेबाजी की और विगत चुनाव में लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन भी किया। उल्लेखनीय है कि बाबर का वह सिपहसाकार मीर बांकी जिसने बादशाह के हुक्म की तामीली मैं श्रीराम जन्म भूमि मन्दिर को भ्रष्ट किया था। शीया था। ज्ञातव्य है कि इसी मीर बांकी के उत्तराधिकारी जावेद हसन के पास अयोध्या से ही मात्र तीन किलो मीटर दूरी पर वह चालीस एकड़ जमीन है जो बाबर द्वारा मस्जिद के लिए मुहैया करायी गयी थी। और भी उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को सीमारेखा मान हिंदुस्थान के समूचे धर्मस्थल उस तिथि से पूर्व के भूत में विलीन करने की शर्त के साथ शीया नेता बहुत पहले से रामजन्म भूमि से बाबरी मस्जिद को उड़ा ले जाने मे विश्वहिंदू परिषद भाजपा से संवादरत हैं। शीया इसमें दोहरा खेल खेल रहे है। एक ओर सुन्नियों से मुक्ति का तो दूसरी ओर बाबरी [illegible] को हटाने के नाम पर देश की सरकारों संगठनों और हिन्दुओंसे अरबों रुपये ऐठने का। इस दृष्टि से भाजपा पक्ष मे शीयाओं [illegible] वोट किसी न किसी प्रकार राम लहर से प्रभावित माने जा सकते है।

मंदिर मुक्ति का प्रश्न हिंदुओं के अंतरतम को छूने वाला प्रश्न है, ऐसे में कोई संगठन हिंदू समाज के इस श्रद्धा[illegible] के आधार पर उसे जगाने, विश्वास दिलाने और संगठित करने की चेष्टा करे तो उसमे सफलता के बारे में संदेह नहीं। पर जनजागरण और संगठन मेले-ठेले की पद्धति से रैलियों म काउडीस्पीकर्स की भरमार और भड़कीले भाषणों नारों से नही हुआ करता। इस प्रकार की पद्धतियां और आयोजन जनता में क्षणिक आवेश करते अवश्य है पर उनका कोई स्थायी प्रभाव नही होता जैसे रात मे देखी फिल्मों के प्रेम प्रसंग सुखद भावनोत्पादक होते हैं पर सुबह उठते ही चालु हुई दिनचर्या के साथ वे विस्मृति की गर्त मे चले जाते हैं यह वास्तविकता है यथार्थ है युनिक फीचर्स पुणें द्वारा महाराष्ट्र की देहू आलंदी से पण्ढपुर तक की वारषिक धर्मयात्रा में सम्मिलित लाखों भक्तों से संवाद स्थापित कर इस सर्वेक्षण के जो निषकर्ष प्रस्तुत किये गये हैं। (महाराष्ट्र टाइम्स मराठी मुंबई 21 जुलाई 1991) वे यह बताते है कि महाराष्ट्र के सुदूर गाँवों से आनेवाले ये हिन्दूधर्मों और उनसे जुडे नागरजनों ने साफ शब्दों में श्रीरामजन्म भूमि की मुक्ति को उचित और आवश्यक बताया हैं। जब हम इस जनभावना को महाराष्ट्र मे हुई भाजपा की पराजय के परिप्रेक्ष्य में देखते है तो सहसा कहना होगा कि भाजपा हिंदू मानस को जगाने और संगठित करने मे विफल रही है हिंदू भावना को एक हिंदू लहर के रूप में प्रवाहित करने में असफल रही है।

1991 के चुनाव में राम लहर के प्रभावी होने नहीं होने के संबंध में निष्कर्ष निकालने की दृष्टि से 1989 के चुनावों से उसकी तुलना बहुत ही सहायक हो सकती हैं। भाजपा ने 89 के चुनाव में 214 सीटों पर चुनाव लड़ा और चुनावी समझौते के अन्तर्गत जनता दल को 222 सीटों पर सहयोग किया। इस प्रकार भाजपा के मतदाताओं ने भाजपा जद गठबंधन प्रकारांतर से भाजपा के पक्ष में 436 सीटों पर मतदान किया। अब 1991 के चुनाव में अकेली भाजपा ने अपने बलबूते पर 456 अर्थात भाजपा जद के पूर्व गठबंधन से भी 20-अधिक सीटें लड़ी। ऐसे में भाजपा ने 1989 के अपने 3 करोड़ 41 लाख मतों में एक करोड़ 99 लाख को जोड़कर 1991 में 5 करोड 40 लाख की मत संख्या प्रस्थापित की। प्रथम दृष्टि में भाजपा की यह मतवृद्धि प्रभावी प्रतीत होती हैं। पर स्थिति का विश्लेषण करने पर कुछ भिन्न वास्तविकता प्रकट होती है। एक तो भाजपा ने इस बार दुगुने से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा ऐसे में मतवृद्धि सहज ही है। दूसरे जद 89 के चुनाव में भी मिले 3 करोड़ मतों में से 1 करोड़ 40 लाख वोट भाजपा से चुनावी समझौते के कारण प्राप्त माने जाये और भाजपा की 1 करोड 99 लाख की मतवृद्धि से इसे हटा दिया जाय तो विगत चुनाव की तुलना मे भाजपा की शुद्ध मतवृद्धि मात्र 49 लाख ही दिखाई देती हैं, जो निश्चय ही केन्द्र मे सरकार बनाने के धुंआधार प्रचार, और उसपर बहाये गये धन और जुटायी गयी कार्यकर्त्ताओं की विभिन्न सेनाओं की दृष्टि से कुछ विशेष नहीं और किसी लहर के होने को प्रमाणित नही करती।

भाजपा की चुनावी सफलता का राम लहर से संबंध में कितना कुछ वास्तविक है इसका परिकलन भी इस विषय में महत्त्वपूर्ण है। 1991 की नवीनतम जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 84, 9,30,861 थी। 1981 की जनसंख्या में हिंदुओं के होने वाले 82.63 प्रतिशत को ही मानकर चले तो साम्प्रति देश में 69 करोड़ हिंदू हैं और इसी अनुपात से देश के कुल मतदाता संख्या 52 करोड़ में अनुमानतः हिंदू मतदाताओं की संख्या लगभग 43 करोड़ होगी। इन 43 करोड़ में से केवल 5 करोड़ 40 लाख हिंदू मतदाताओं (भाजपा के पक्ष में मुस्लिम मतदान नगण्य मानते हुए) में से केवल 12.56प्रतिशत ने भाजपा को मतदान किया।

भारत की हिंदू जनसंख्या 69करोड़ में से केवल 5 करोड़ 40 लाख अर्थात 7.82 प्रतिशत हिंदू जन ने भाजपा के कमल पर अपनी मोहर लगाई है। सर्वथा निष्पक्ष दृष्टि से निष्कर्ष प्रस्तुत किये जाये तो कहना होगा कि, भाजपा को प्राप्त मत भाजपा की बढ़ी हुई शक्ति और चुनावी सफलता अवश्य मानी जा सकती है। पर किसी भी दृष्टि से 'रामलहर', 'भगवा लहर' या 'हिंदू लहर' के होने को प्रमाणित नहीं करती।

"स्मरण रहे, राम जन्मभूमि तो जन-मानस में केवल उत्तर प्रदेश का ही मसला माना गया था, देश के अनेक भागों में हिंदू उसे अंतर्मन से अपना प्रश्न नहीं मान पाए, निर्वाचन के फलों से यह स्पष्ट हो गया है।"

डा. स्वराज प्रकाश गुप्त
पूर्व निदेशक

इलाहबाद संग्रहालय के साप्ताहिक पांचजन्य में प्रकाशित लेख से।

तालिका अ

वर्ष	मतदाता क.	मतदाता ला.	मतदान क.	मतदान ला.	प्रतिशत में	कांग्रेस क.	कांग्रेस ला.	कांग्रेस प्रतिशत में	भाजपा क.	भाजपा ला.	भाजपा प्रतिशत में	जद क.	जद ला.	जद प्रतिशत में
१९८९	४९	८५	२७	९६	६२	११	०	३२४७	३	४१	११०४९	३	०	[illegible]१
१९९१	५२	१०	२६	७०	५३	९	७२	३६००	५	४०	२१.९०			६.५

तालिका ब

वर्ष	कांग्रेस सीटें लड़ी	कांग्रेस सीटें जीती	भाजपा सीटें लड़ी	भाजपा सीटें जीती	जद सीटें लड़ी	जद सीटें जीती
१९८९	४७१	१९७	२१४	०७५	२२२	१४३
१९९१	४७९	२२३	४५६	११९	२९९	०५२

रामलहर के होने न होने और होने पर उसके तीव्र या मन्द होने के प्रमाणों की व्याख्या करने पर जो निष्कर्ष उभर कर सामने आते हैं वे सुखद अवश्य नहीं हैं फिर भी निराशा का कोई कारण नहीं है। राजनीतिक स्वतन्त्रता के प्राप्त होने पर तत्काल अन्य स्वतंत्रताओं की प्रस्थापना हेतु आवश्यक आंदोलन अभियानों की देश ने जो अपेक्षा की है उसके परिणामों को इतनी सरलता से मिटाया नहीं जा सकता। फिर भी विलम्ब से जो आंदोलन आरम्भ किया गया है वह समर्थनीय होते हुए भी यह कहना होगा कि, प्रत्येक चरण के उपरांत हमें अपनी नीति और व्यवहारों का परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। मात्र इसी सदभावना से यह विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, न कि किसी भी आलोचना या विरोध के लिए! रामलहर के निःप्रभावी रहने पर हमारी अन्तःपीड़ा को श्रीराम अवश्य जानते हैं।

वैसे भी लहरें किलों को ढहा सकती है, पर नवीन सृष्टि का निर्माण तो कर नहीं सकती। हिंदुराष्ट्रवादी नवसृष्टि की सर्जना हेतु मेलों की भीड़ नहीं तो क्रांतिकारियों की मानसिकता-वाले संकल्पवानों की आवश्यकता है। हमारा यह विश्वास है कि, जनतन्त्र में 'आनी-जानी' इस आवश्यक और महत्वपुर्ण सत्ता के लिए भी लालायित न रहते हुए सिद्धांतवादिता के दृढ़तर अधिष्ठान के निर्माण में आज भी यदि जुट जाये तो इससे सत्ता प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है पर वह सत्ता जब भी प्राप्त होगी उसमें स्थायित्व होगा। और फिर सत्ता किन्हीं हाथों में भी क्यों न हो, वे हाथ प्रबल हिंदूमत को नमन करेंगे अवश्य।

विरोधियों यहां तक कि शत्रुवत तत्वों के विरुद्ध भी हमारा लेखन साधार होता है। आलोचना मात्र आलोचना के लिये या विरोध के लिये नहीं तो सुधार परिवर्तन के मंतव्य से होती है।

राजनीति का हिंदूकरण
हिंदूओं का सैनिकीकरण

-वीर सावरकर

डाक पंजीयन क्रमांक आई. डी. सी. म. प्र. 490/91

पत्र पंजीयन क्रमांक 12228/i /91

दो आदर्श व्यक्तित्व नहीं रहे

वैज्ञानिक उन्नति के इस युग में जीवन की षष्ठिपूर्ति कोई असामान्य बात नहीं। तथापि अपने स्वीकृत व्रत को सतत साठ वर्षों तक आजीवन निभाते रहना दलबदल और दिलबदल के वातावरण में निश्चय ही असामान्य बात है। ऐसे ही दो व्यक्तित्व कालचक्र के नियम से इस लोक से विदा हो गये।

श्री अच्युतराव जोशी

वीर सावरकर के एक सक्रिय अनुयायी रत्नागिरी में वीर सावरकर द्वारा स्थापित श्री पतित पावन मंदिर के व्यवस्थापक श्री अच्युतराव जोशी का 17 मार्च 91 को 76 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ। 1931 में जब श्री पतितपावन मन्दिर की स्थापना ी गई थी। तब अच्युतराव के पिताश्री उसमें पुजारी नियुक्त हुए। देश के अगणित मन्दिरों में निराला था। तब यह श्रीपतितपावन का मन्दिर कोई भी हिंदू किसी भी जाति का क्यों न हो बिना किसी भेदभाव के इस मंदिर में अपने हाथों श्रीपतित पावन भगवान की पूजा कर सकता था। चौथे दशक के उस सनातनी युग में पुराणपंथियों के गढ़ रत्नागिरी में वीर सावरकर के इस असाधारण साहस में सहभागी होनेवालों को उसकी प्रतिक्रिया भी सहनी पड़ी। सनातनी नेताओं के आदेश पर सुधारवादियों का जाति बहिष्कार किया गया। सत्यनारायण कथा विवाहादि संस्कार यहां तक कि श्राद्धकर्म के लिये भी सुधारवादी बहिष्कृत थे अतः वे आपस में एक दूसरे के यहां पोरोहित्य कर धार्मिक का र्यों को सम्पन्न करते रहे। किशोरवयीन अच्युत के मानस पर इन परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ा। वीर सावरकर के बौद्धिक तथा व्यावहारिक मार्गदर्शन में अच्युत ने अब सुधारवाद को पूरी निष्ठा से अपना लिया। जातिबहिष्कार से वह किंचित-मात्र भी विचलित नहीं हुये तो इस अन्याय को दूर करने हेतु उन्होंने न्यायालय की सहायता ली। अब श्रीपतितपावन मंदिर में पूजापोरोहित्य का कार्य उन्होंने अपना लिया। पर सार्वजनिक संस्थाओं के अनुभवों के धनी वीर सावरकरजी ने अच्युतराव को [illegible] या की तुम्हारी आजीविका इस मन्दिर के पूजा-अर्चना पर अवलंबित नहीं रहनी चाहिये। तुम्हें तो अन्य कोई व्यवसाय अपना कर धन अर्जित करना चाहिए। और अच्युतराव ने वस्त्र सिलाई के काम को विधिवत सीख लिया और अखिल हिंदू सिलाई दुकान के नाम से अपना व्यवसाय आरम्भ किया। साथ ही मन्दिर के व्यवस्थापन का भार भी दायित्वभाव से सम्हालते रहे। श्रीपतितपावन मन्दिर एक सार्वजनिक संस्था होने के कारण अनेक कठिनाइयों और संकटों से उन्हें जूझना पड़ा न्यायालय के चक्कर लगाने पड़े। एक सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार की आर्थिक आदि जो सीमाएं होती है उनसे उत्पन्न होने वाली स्थितियों का सामना भी उन्हे करना पड़ा। हो सकता है कि ईश्वर भी कभी किसी की परीक्षा लेना चाहता है। इसलिए तो एक के बाद एक रोगों ने भी अच्युतराव को घेरा। पर जब हम 1974 मे रत्नागिरी मे पन्द्रह दिन उनके साथ श्रीपतितपावन मन्दिर में थे तो हमने यह अनुभव किया कि अनेकानेक दुखों और पीड़ाओं को सहकर भी वह अपने व्यवहार और चेहरे में उसका किंचित-मात्र भी आभाष नही होने देते थे। श्रीमती ओक तब वीर सावरकर के समाजसुधार कार्यों पर शोध कर रही थी और उनके सहायक के रुप में रत्नागिरी में थे। श्रीअच्युतराव जोशी के रूप में तो हमें वीर सावरकर के समाजसुधार कार्यो की चक्षुर्वैसत्यम जानकारी देने वाला एक अजस्त्र स्त्रोत ही उपलब्ध हुआ था रत्नागिरी में अनेक लोगों से भेटवार्त्ताओं को निश्चित करने तथा श्रीपतितपावन मंदिर में एक जानकारी भरा चर्चा-कार्यक्रम आयोजित करने के रुप में भी उन्होंने बहुत ही सहयोगपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। ऐसा कर्मयोगी व्यक्तित्व अब अनंत में विलीन हो चुका है। हम उनकी आत्मा की चिरशांति की तथा परिवारजनों को इस असहय अघात के सहने की क्षमता देने की प्रार्थना परमशक्ति से करते है। हमारी यह अनुभवजन्य मान्यता है कि ऐसे व्यक्तित्वों का देहावसान एक अपुरणीय हानि है। तथापि यदि इन रचनात्मक कार्यों को अविरत चलाये रखना है तो इस प्रकार की रिक्तता की पूर्ति होना नितान्त आवश्यक है।

डा. वा रा जोशी

आज की राजनीति को कुर्सी और पदों की प्रतियोगिता ही नही तो संघर्ष की राजनीति बन चुकी हैं ऐसे में इन गुदगुदा होनेवाले भावों से परे रहकर मात्र दायित्वभाव से अपनी पूरी शक्ति के साथ अंगीकृत योगदान के आदर्श के रूप में एक मात्र हिन्दू महासभाई के लिए सतत स्मरणीय रहेगा और वह नाम है कराड महाराष्ट्र के डा. वा. रा. जोशीजी का आप हिंदू महासभा की राजनीति मे सक्रिय रहे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। पर कार्य को अविरत और अखंडरूप से चलाते रहने हेतु नवीन पीढ़ियों के हाथों उसे सौंपने और मात्र सौंपने ही नहीं तो उन्हे मार्गदर्शन देते रहने में और उनकी कठिनाइयों को कम करने में भी आपने असाधारण रुचि ली। अनुभवों के आधार पर आपने जाना कि आज के युग में बिना साधनों के अच्छे से अच्छा कार्य सम्पन्न करना भी संभव नहीं। राजनीति में तो धन का महत्व दिनोंदिन बढ़ते ही जा रहा हैं। ऐसे में हिन्दुत्ववादी राजनीति को चलाना है तो मात्र यह कहकर काम नही चलेगा। कि हमारा दर्शन ही श्रेष्ठ हैं, देश के लिए उद्धारक हैं, तो उस दर्शन को जन जन तक पहुंचाने जनप्रिय बनाने के लिए साधनों की सतत आवश्यकता होगी। इसलिये आपने अपने स्वअर्जित धन 'जोशी बंधु शुद्धि संगठन ट्रस्ट कराड' नाम से एक ट्रस्ट बनाया और उसके माध्यम से हिंदुराष्ट्रवादी विचार के प्रसार हेतु आर्थिक योगदान देते रहे। धार्मिक श्रद्धा से संस्थाओं धर्मस्थलों को दान देनेवाले तो बहुतेरे होते हैं पर राष्टोद्धार की भावना से पूरी निष्ठा के साथ राजनीतिक सामाजिक कार्यो में सतत आर्थिक योगदान देने का उदाहरण तो बिरले ही मिलेंगे। उसमें भी विशेषता यह कि समाज में कुछ संगठन कहे या उनका नेतृत्व कहे। धन-संग्रह की दृष्टि से बहुत ही प्रभावी होते हैं, सहसा अन्य संगठन आवश्यक धन जुटा नहीं पाते। विशुद्ध हिन्दुराष्ट्रवादी संगठन तथा हिन्दू महासभा ऐसे ही साधन संकलित करने में निःष्प्रभावी रहने वाला संगठन है। इस संगठन को प्रत्यक्ष परोक्षरूप से डा.वा.रा. जोशीजी का योगदान निश्चय ही असाधारण और आदर्श है। डाक्टरजी का व्यक्तित्व मिलनसार सहयोगी स्वरुप का था। वृद्धावस्थावशाता प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र में सक्रियता की कमी के कारण ही विगत वर्षो उनसे भेंट का अवसर मिला। 1 अगस्त 1987 को पुणें में महाराष्ट्र प्रदेश हिंदू महासभा के वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर आपसे भेंट हुई थी वही अन्तिम प्रत्यक्ष भेंट रही। 7 अगस्त 91 को डाक्टरजी का देहावसान हुआ। आपकी अवस्था पिच्यासी वर्ष की थी। डाक्टरजी के कार्यो को अपना ही कार्य समझने वाले उनके परिवारजनों के दुख में हम सहयोगी है और परमशक्ति से प्रार्थना करते हैं कि डाक्टरजी की आत्मा को चिरशांति प्रदान करें।

विक्रमसिंह

आगामी अंक

- नगर---ग्राम बटेंगे करबला, रामलीला मैदानों में ?
- गुटनिरपेक्ष मिटाना नहीं तो जिलाना है !

बड़े नेताजी को छुटभैये की चिट्ठी

डीयर बोस,

नमस्ते ! आपको जानकर परसन्नता होगी कि 14 अक्टूबर को यहाँ पर एक बिसाल 'आंग्रेजी हटाओ' सम्मेलन का फैसला पालटी की अपनी लाबी ने किया है। अपने सारे पट्ठे अभी से चन्दा उगाही में जी जान से जुट गए हैं। वैसे सामने वाली लॉबी ने टांगफंसाऊ करतूतें चालू कर दी है। वे परचार कर रहे हैं कि आंग्रेजी हटाओ सम्मेलन तो ग्वालियर मे होना चाहिये। पर आप को बताये को बोस यदि ये लोग बाज नहीं आये तो इनकी टांगें तोड़ देंगे। आप का आसीरवाद भर चाहिये। आप टप्पूभिया को तो जानने ही हैं ! कल ही उन्होंने उस चपटी नाकवाले से कह दिया कि विधायकी भूल जायेगा यदि हमारे सम्मेलन में टांग फसाई तो। सम्मेलन तो यहीं होकर रहेगा, तुझे भर ऐसी दूंगा कि सीदा गवालियर पहुंच जायेगा। तब अपनी चपटी नाक बचाने की फिक्र में उसने मिया को प्रोमिस किया है कि वे और उनका धड़ा कोई हरकत नहीं करेगा। बोस अब तो अपना रास्ता साफ है। कल ही सम्मेलन के लिए रिसेप्सन कमीटी, प्रेपोगाण्डा कमीटी, स्टज कमीटी, बोलेन्टीयर कमीटी और लेडीज कमीटी का गठन किया गया। इस सम्मेलन में पालटी अपनी लॉबी का दबदबा बढ़ने आला है। टप्पूभिया और इसाकमिया को मैंने कितना समझाया पर चमचे जो है कि मानते ही नहीं अब से ही अपने राम को 'एमलेसाब' ही पुकारते है। खैर आपकी महरबानी भर बनी रहे। अपनी लोबी के विधायक, सांसदों और अन्य पालटियों के आप के यार दोस्तों की सिरकत सम्मेलन में जरुरी है। आप हमें नाम भेजिये जिससे की उनको इनविटेशन भेज सके। चीप मनीस्टर और कम से कम पांच-छह मनीस्टर तो आने ही चाहिए। और हां राजमा ताई से उदघाटन करवाना हैं। उन्हें लाने का जिम्मा आप पर है और अधक्सकता तो हमारा बोस ही करेगा।

एक खुशी की खबर वैसे यहाँ के अखबारवालों पे अपनी अच्छी खासी है सो जम के छप रहे हैं। पर अब अपन खुद भी पुत्रकार बनने जा रहे हैं। दिल्ली में जुगाड़ जमाकर अपन ने साप्ताहिक 'जन्नेता' का डीकलैरशन पा लिया है और हिसाब एसा कि हींग लगे ना फीटकरी पर मामला फिट्ट ! अपने प्यारेमियां अब देसी के साथ विदेसी के ठेके लेने में आपकी महेरबानी से कामयाब हो चुके हैं। 'जन्नेता' का सारा खर्चा वे उठायेंगे। उनकी बस एक ही शर्त थी कि इस्लाम और मुस्लिम के खिलाफ कुछ छपना नहीं चाहिए। अपन ने के दिया 'मिया इत्ते सालों में ये ही पेचान की हमारी' और याद दिला दिया कि छह साल पेले पुरानी साईकिल से आज मारुति पर चढ़ने लगे हो हमारे बोस की महरबानी से ! तो फिर क्या बोलता। खेर जब परदेस और सेन्ट्रल गोबरमेंट से एडबरटाइजमेंट और पेपर कोटा का इन्तजाम हो जाय तो बस समझो अगले चुनाव में सीटें अपनी जेब में। और बोस 'अंग्रेजी हटाओ' सम्मेलन के टेम पर ही आप को यहाँ होटल 'नाईट्स लाईफ इन्टरनेसनल' का उदघाटन करना है। प्यारेमियां के समधी बम्बई के सराफतमिया तसकर की यह सानदार होटल अब सजधज रही हैं। 'आंग्रेजी हटाओ सम्मेलन' के गेस्टों के रहने का इंतजाम यहीं है। तो जल्द लिखिये कि आप को इनबाईट करने के लिये सराफतमिया की लाल चटकीली मारुति में आपके बंगले पर कब दस्तक दें ! और आप की महरबानी।

आपका

अप्पू पेलवान

ना मूले लिख्यते किंचित

बिना प्रमाण के हम कुछ नहीं लिखते

पा. हिन्दु अस्मिता-सम्पादक, स्वामी विक्रम गणेक ओक (विक्रमसिंह) प्राध्यापक द्वारा विश्वास कमर्शियल एजेन्सी, 55/2, माली मोहल्ला, इन्दौर से मुद्रित एवं 'अभिनव भारत प्रकाशन' 16, एम. आय. जी. (शाप कम रेसीडेन्स) नन्दानगर मेनरोड, इन्दौर मध्यप्रदेश, 452008 से प्रकाशित। दूरभाष : 37948